पत्रांक–योजना बजट–185/2009 (पार्ट) /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......./08/2016

विषय :– JICA सम्पोषित राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य एवं उपस्कर/फर्निचर के क्रय हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के तहत स्वीकृत ₹330.34532 लाख (तीन करोड़ तीस लाख चौतीस हजार पाँच सौ बत्तीस ₹) में से अव्ययित राशि ₹314.087 लाख (तीन करोड़ चौदह लाख आठ हजार सात सौ ₹) वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक JICA सम्पोषित राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया के निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य एवं उपस्कर/फर्निचर के क्रय हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृति एवं उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के तहत स्वीकृत ₹330.34532 लाख (तीन करोड़ तीस लाख चौतीस हजार पाँच सौ बत्तीस ₹) में से अव्ययित राशि ₹314.087 लाख (तीन करोड़ चौदह लाख आठ हजार सात सौ ₹) वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–4003 दिनांक–31.12.2015, यथा संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या–621 दिनांक–22.02.2016 द्वारा स्वीकृत राशि ₹330.34532 लाख में से मात्र ₹16.25832 लाख की ही वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी हो सकी तथा वित्तीय तकनीकी कारणों से शेष ₹314.087 लाख की निकासी नहीं होने एवं उक्त स्वीकृत योजना के अपूर्ण क्रियान्वयन को पूर्ण करने की आवश्यकता के दृष्टिपथ में यह अनुमति प्रदान की जा रही है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–070–संचार तथा भवन, मांग संख्या–19 उप शीर्ष–01 02–भवन, विपत्र कोड–पी4406010700102 के विषय शीर्ष– 27 01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि से मात्र ₹40.00 लाख (चालीस लाख ₹) का व्यय किया जायेगा तथा शेष राशि का व्यय प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

3. इस राशि में से उपस्कर/फर्नीचर के क्रय हेतु ₹115.52268 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार दो सौ अड़सठ ₹) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया होंगे तथा इस राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी एवं स्वंय उनके द्वारा व्यय किया जायेगा।

शेष राशि ₹198.56432 लाख (एक करोड़ अनठान्वे लाख छप्पन हजार चार सौ बत्तीस ₹) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना होंगे तथा संबद्ध कोषागार, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से इस राशि की निकासी कर उनके द्वारा कार्यकारी एजेंसी आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना के पी०एल० लेखा (PLA) संख्या–268 में जमा किया जायेगा।

इस प्रकार उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित पूर्व के दोनों स्वीकृत्यादेशों द्वारा घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के संदर्भ में उक्त स्वीकृत्यादेशों को आंशिक संशोधित समझा जाय एवं अन्य सभी कंडिकायें/शर्त्तें यथावत रहेगें।

4. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक–20.07.2016 की कार्यवाही ज्ञापांक–4119 दिनांक–21.07.2016 द्वारा अनुशंसा तथा संचिका के पृष्ठ–95/टि० पर दिनांक–28.07.2016 को विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं पृष्ठ–101/टि० पर दिनांक–05.08.2016 को वित विभाग का परामर्श प्राप्त है।

5. प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–103/टि० पर दिनांक–16.08.2016 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार का स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–185/2009(पार्ट) 4402 /प०व० पटना–15, दिनांक–17/08/2016

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–4/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गया एवं उनके संबद्ध कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी०(मैनेजर)/पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Jha 17/8/16
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव